№ 008448

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 1068

वर्ष 2007-08

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि "ग्रामीण विधा विकास समिति"
मो० काश्मीरगंज गाँधी मैदान पो० मसौढ़ी
जि० पटना (बिहार)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख एकतीस मास सितम्बर वर्ष दो हजार सात को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबंधन बिभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। निबंधन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण या बित्तीय सहायता के प्रायोजन हेतु अनुशंसा नहीं माना जाए।

बि० स० मु० (निबन्धन) 1 —II— 10,000—23-9-2004—पी० एन० सिंह

31.9.07

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

रामचन्द्र सिंह

Scanned with CamScanner

3301

पत्र संख्या सो०प०रा०-3-10

निबंधन महानिरीक्षक बिहार का कार्यालय

बिहार,पटना

(दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

....

......ग्रामीण... शिक्षा... विकास... समिति

.... के मामले में ।

पटना,दिनांक......25/9/2007......./

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21.1860 के उपबधो के अनुसार आज यथावत दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया / किये गये ।

फीस का ज्ञाप-50 (पचास रूपये केवल)

संस्था का स्मृति पत्र/नियमावली एवं आम सभा का प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।

महानिरीक्षक निबंधन

बिहार,पटना।

सचिव,

ग्रामीण शिक्षा विकास समिति

मो० कशीपुर (गंगा) ओयरा चौक

पो० मदारी जि० पटना

को सेवा में उनके पत्र संख्या ....शून्य........ दिनांक........शून्य........के प्रसंग में अग्रसारित ।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है प्राप्ति की सूचना दें ।

वास्ते महानिरीक्षक निबंधन

बिहार,पटना।

आम सभा का प्रस्ताव

आज दिनांक 21.06.2007. को **''ग्रामीण विद्या विकास समिति''** नामक संस्था के अध्यक्ष सुश्री नीतु कुमारी की अध्यक्षता में एक आमसभा का आयोजन किया गया ।

इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संस्था का निबंधन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अन्तर्गत करायी जाय ।

साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस संस्था के निबंधन का भार सचिव श्री रामचन्द्र सिंह पर सौंपा जाय ।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद के बाद सभा समाप्ति की विधिवत घोषणा की गई ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आम-सभा प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि है ।

नीतु कुमारी
अध्यक्ष

रामचन्द्र सिंह
सचिव

Rahul chandra

Purushottam chandra

[illegible]

''ग्रामीण विद्या विकास समिति''

का

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :- ''ग्रामीण विद्या विकास समिति''

2. निबंधित कार्यालय :- इस संस्था का निबंधित कार्यालय- मोहल्ला-काश्मीरगंज, गाँधी मैदान, पो0- मसौढ़ी, जिला- पटना (बिहार) में रहेगा ।
- स्थान परिवर्तन की सूचना संबंधित कार्यालय एवं पदाधिकारियों को 15 दिन पूर्व दे दी जाएगी ।

3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।

4. उद्देश्य :- इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे :-

1. शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करेंगी तथा विभिन्न तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विद्यालय, महाविद्यालय एवं आवासीय विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, पठन-पाठन कक्ष, छात्रावास, अध्यात्मिक शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र, हरिजन एवं आदिवासी विद्यालय, मूक एवं बधिर विकलांग विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना, गरीब, असहाय, विकलांग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हर संभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना ।
2. वृद्ध महिला-पुरूष, नि:संतान, निराश्रितों के लिए आश्रम स्थल, भोजन, चिकित्सा, की नि:शुल्क व्यवस्था करना ।
3. संस्था द्वारा ITI,(NCVT) इंजिनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, पारामेडिकल कॉलेज का संचालन किया जायेगा जिससे वे आत्मनिर्भर होकर अपने पैरो पर खड़े हो सके और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके ।
4. संस्था उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लेख, पत्रिकाएं और शिक्षा प्रदत्त पुस्तकें तैयार कर मुद्रित तथा प्रकाशित करना एवं बिक्री करना ।
5. शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रोनिक्स, रेडिया एवं टेलीविजन निर्माण एवं मरम्मति, हार्डवेयर, सौफ्टवेयर, टाईपिंग, शौर्टहैण्ड, ब्यूटिशियन कोर्स, इलेक्ट्रीकल्स मोटर वाइन्डिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना ।
6. बाढ़, अकाल, महामारी तथा अन्य दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य का संचालन करना तथा पीड़ितों के बीच भोजन, स्वच्छ पेयजल, वस्त्र, दवा चिकित्सा शिक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना ।
7. स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपस्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, क्लिनिक, चलन्त दवाखाना, कैंसर अस्पताल, कुष्ठ अस्पताल इत्यादि की स्थापना एवं संचालन करना तथा पल्स पोलियो टीकाकरण शिविर, रक्तदान, नेत्रदान एवं नेत्र चिकित्सा शिविर, परिवार नियोजन शिविर, मातृ एवं शिक्षा कल्याण शिविर का आयोजन कर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा लाभान्वित करना इसके अलावा एड्स, कालाजार, मलेरिया, हैपेटाईटिस, ए0बी0सी, लेप्रोसी, टी0बी0 एवं अन्य खतरनाक बिमारियों से निजात दिलाने हेतु आवश्यक जानकारी एवं दवा उपलब्ध कराना ।

Rahul chandra
Purushottam chandra

20/9/07

Scanned with CamScanner

8. संस्था गरीब लोगों, अल्पसंख्यकों, अनाथों एवं महिलाओं के सामाजिक, शेक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी ।
9. संस्था सर्वशिक्षा अभियान साक्षरता अभियान सतत शिक्षा अभियान लोक शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था करेगी ।
10. देश की एकता एवं अखण्डता की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान का संचालन करना तथा देश से आतंकवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, छूआ-छूत, देशद्रोह, नशाखोरी, जुआ खेलना, औषधि दुरूपयोग, दहेजप्रथा, बाल-विवाह, बालश्रमिक इत्यादि को समाप्त कराने का प्रयास करना ।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, असहाय, विकलांग , विधवा महिलाओं एवं पुरूषों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, लघु उद्योग, गृहउद्योग, कुटीर उद्योग, वस्तुकला, सूवीकला, मधुबनी पेंटिंग, सिलाई-कटाई, बुनाई, कालीन बुनाई, पत्तल प्लेट निर्माण, कृषि, बागवानी, आचार, जाम एवं जैली निर्माण का प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण केन्द्र की संचालन करना ।
12. पर्यावरण को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रमों का संचालन करना तथा लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, लगे वृक्षों की रक्षा करना एवं अन्य जानकारी देना तथा सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों में सहयोग देना ।
13. लोगों को उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, महिला शसक्तीकरण, दलित मानवाधिकार, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं संचालन के बारे में जानकारी देना तथा देश से महिला उत्पीड़न, वेश्यावृति समाप्त कराने के लिए लोगों को जागरूक करना ।
14. संस्था सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनैतिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से स्टेज एवं नुक्कड नाटक नृत्य संगीत, नाटक, वाद्य का प्रशिक्षण एवं प्रस्तुति करेगी ।
15. कृषि के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधान के बारे में जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना ।
16. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, पालनागृह की संचालन करना ।
17. ग्रामीण गरीब लोगों को पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं अपने अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में संस्था के माध्यम से जानकारी दिया जायेगा ।

20/9/07

Rahul Chandra Purushottam Chandra

Scanned with CamScanner

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पति का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, जीवकोपार्जन का साधन एवं पद नीचे दिया गया है । वर्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौपा गया है ।

क्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	शैक्षणिक योग्यता	जीविकोपार्जन का साधन	पद
1	सुश्री नीतु कुमारी पिता- श्री नन्द किशोर सिंह	ग्राम+पो0- नारदीडीह, जिला- नवादा ।	बी0ए0 ऑनर्स	गृहिणी	अध्यक्ष
2	श्री रामचन्द्र सिंह पिता- स्व0 भागवत सिंह	काश्मीरगंज, मसौढ़ी जिला- पटना ।	एम0ए0 बी0एड0	सेवानिवृत शिक्षक	सचिव
3	सुश्री बेबी कुमारी पिता- श्री सहजानन्द सिंह	ग्राम+पो0- इजरता पाली, जिला- पटना ।	आई0ए0	गृहिणी	कोषाध्यक्ष
4	श्रीमती नूतन भारती पति- पंकज कुमार	ग्राम- काकोरोड टेलिफोन एक्सजेंज के पास, जिला- जहानाबाद ।	बी0ए0 ऑनर्स	गृहिणी	सदस्य
5	श्री बृजनन्द प्रसाद सिंह पिता- स्व0 योद्धन यादव	ग्राम+पो0- नसीरनाचक मसौढ़ी, जिला- पटना ।	बी0ए0 ऑनर्स	समाज सेवा	सदस्य
6	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता- श्री बलदेव सिंह	ग्राम+पो0- करवाँ, मसौढ़ी, जिला- पटना ।	मैट्रिक	समाज सेवा	सदस्य
7	श्री नागेश्वर रविदास पिता- स्व0 शिबु दास	मो0- रहमतगंज, मसौढ़ी, जिला- पटना ।	मैट्रिक	स्वास्थ्य सेवा ।	सदस्य

Scanned with CamScanner

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पति का नाम, पता, शैक्षणिक योगयता, जीविकोपार्जन का साधना एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है वर्त्तमान के स्मृति पत्र के अनुसार संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी है :-

क्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	शैक्षणिक योग्यता	जीविकोपार्जन का साधन	हस्ताक्षर
1	सुश्री नीतु कुमारी पिता- श्री नन्द किशोर सिंह	ग्राम+पो0- नारदीडीह, जिला- नवादा ।	बी0ए0 ऑनर्स	गृहिणी	नीतु कुमारी
2	श्री रामचन्द्र सिंह पिता- स्व0 भागवत सिंह	काश्मीरगंज, मसौढ़ी जिला- पटना ।	एम0ए0 बी0एड0	सेवानिवृत शिक्षक	रामचन्द्र सिंह
3	सुश्री बेबी कुमारी पिता- श्री सहजानन्द सिंह	ग्राम+पो0- इजरता पाली, जिला- पटना ।	आई0ए0	गृहिणी	बेबी कुमारी
4	श्रीमती नूतन भारती पति- पंकज कुमार	ग्राम- काकोरोड टेलिफोन एक्सजेंज के पास, जिला- जहानाबाद ।	बी0ए0 ऑनर्स	गृहिणी	नूतन भारती
5	श्री बृजनन्द प्रसाद सिंह पिता- स्व0 योद्धन यादव	ग्राम+पो0- नसीरनाचक मसौढ़ी, जिला- पटना ।	बी0ए0 ऑनर्स	समाज सेवा	बृजनन्दन प्र0
6	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह पिता- श्री बलदेव सिंह	ग्राम+पो0- करवाँ, मसौढ़ी, जिला- पटना ।	मैट्रिक	समाज सेवा	सुरेन्द्र प्र0
7	श्री नागेश्वर रविदास पिता- स्व0 शिबु दास	मो0- रहमतगंज, मसौढ़ी, जिला- पटना ।	मैट्रिक	स्वास्थ्य सेवा ।	नागेश्वर रविदास

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति मेरे सामने हस्ताक्षर किए है जिन्हें मैं पहचानता हूँ ।

20/9/07

21/9/07

हस्ताक्षर

नाम- Dr. S. B. [illegible] जिला पदाधिकारी

पता - Masaurhi जहानाबाद

Rahul Chandra

Purushottam Chandra

पंजाब नैशनल बैंक कुट क्र0 2734 शाखा-मसौढ़ी, पटना

"ग्रामीण विद्या विकास समिति"

की

नियमावली

1. संस्था का नाम :- "ग्रामीण विद्या विकास समिति"

2. **परिभाषा**

(क) संस्था से अभिप्राय है :- "ग्रामीण विद्या विकास समिति"

(ख) समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति

(ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष

(घ) वर्ष से अभिप्राय है :- 01 अप्रील से 31 मार्च तक

(ड) एक्ट से अभिप्राय है :- सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860

३. **सदस्यता**

प्रत्येक व्यक्ति जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हो वे संस्था के सदस्य बन सकते है। सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 21/- रूपया प्रवेश शुल्क एवं 11/- रू0 मासिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा।

4. **सदस्यता की समाप्तिः-**

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी

(क) स्वयं त्याग पत्र देने पर।

(ख) पागल या मृत्यु होने पर।

(ग) न्यायालय द्वारा किसी फौजदारी मुकदमों में सजा पाने पर।

(घ) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।

(ड) लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर।

(च) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

(छ) संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों के विरूद्ध आचरण करने पर

5. **कार्यकारिणी समिति का गठन** :-

(क) कार्यकारिणी समिति कम से कम 7 सदस्यों की होगी

(ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा।

(ग) समिति का कार्यकाल पाँच वर्षो की होगी। निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है।

(घ) अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को मनोनित कर सकती है किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव करा लेना होगा। चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे।

Purushottam Chandra
Rahul Chandra

20/9/16

पंजाब नेशनल बैंक
2734
शाखा-मसौढ़ी, पटना

Scanned with CamScanner

6. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-**

(क) संस्था के चल या अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।

(ख) संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना

(ग) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य सम्पादित करना ।

(घ) उपशाखा का निर्माण करना ।

(ड) संस्था के प्रति होने वाली नियंत्रण को बरकरार रखना ।

७. **आमसभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-**

(क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

(ख) संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।

(ग) अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

(घ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

8. **बैठक :-**

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।

(ख) आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।

(ग) कार्यकारिणी समिति की अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

(घ) आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

9. **प्रार्थित बैठक**

एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति करके माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा । आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का उल्लेख होना चाहिए । अगर सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते है तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरान्त बैठक का आयोजन कर सकते है ।

१०. **बैठक की सूचना :-**

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना- 7 दिन पूर्व दी जाएगी

(ख) आमसभा के साधारण बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी

(ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जाएगी ।

(घ) बैठक की सूचना डाक पंजी या विशेष दूत द्वारा दी जाएगी ।

11. **कोरम :-**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी

12. **पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-**

अध्यक्ष :-

(क) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

(ख) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

(ग) किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना

Rahul Chandra
Purushottam Chandra
20/1/07

पंजाब नैशनल बैंक शाखा-मसौढ़ी, पटना 2734

Scanned with CamScanner

सचिव :-

(क) संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

(ख) संस्था की ओर से पत्रचार करना ।

(ग) पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

(घ) आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।

(ड.) संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।

(च) कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

(छ) सोसाईटी के विकास के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी तथा पदोन्नति करना, वेतन भत्ताका भुगतान करना, अवकाश की स्वीकृति देना ।

(ज) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

(झ) संस्था के दैनन्दिनी कार्यो का सम्पादन ।

कोषाध्यक्ष :-

(क) संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।

(ख) संस्था के सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना ।

(ग) संस्था के कोष किसी निर्धारित बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

13. **आय का श्रोत :-**

(क) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

(ख) सरकारी, गैरसरकारी, दान, अनुदान, सहायता एवं ऋण ।

(ग) प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बिक्री से ।

14. **निधि का अंकेक्षण :-**

(क) संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षित कराया जाएगा ।

(ख) निबंधन महानिरीक्षक, बिहार अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है । इस अंकेक्षण हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

15. **कोष का संचालन :-**

संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा । जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

Rahul chandra

Purushottam chandra

पंजाब नैशनल बैंक
कूट सं 2734
शाखा-मसौढ़ी, पटना

16. **पंजी का निरीक्षण :-**

संस्था का सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

17. **नियमावली में संशोधान :-**

नियमावली में संशोधान आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

18. **कानूनी कार्रवाई :-**

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के नाम से होगी ।

19. **विघटन :-**

(क) संस्था का विघटन अगर किसी कारणवश करना पड़े तो आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

(ख) विघटन के उपरान्त ऋण इत्यादि भुगतान के बाद जो चल या अचल सम्पति बचेगी वह किसी अन्य सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जाएगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से किसी समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जाएगी ।

(ग) विघटन के संबंध में यह संस्था निबंधन अधिनियम 21/1860 की धारा 13 का पूर्णतः अनुपालन करेंगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है ।
प्रमाणित किया जाता है कि यह मूल प्रति की हू-ब-हू प्रति है ।

नीतु कुमारी	बेबी कुमारी	रामचन्द्र सिंह
अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव

21.9.07

Rahul Chandra
Purushottam chandra

पंजाब नैशनल बैंक
2734